R
18/2/10

कार्यालय वास्तुविद नियोजक,

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई–4,
उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद,
इन्दिरा नगर, लखनऊ।

पत्रांक: – 325 / नि0प्रा0 – 10/8 दिनांक –18 फरवरी,2010

स्वीकृति पत्र

सेवा में,

श्री शैलेंद्र बंसल,
पुत्र श्री आर0पी0बंसल,
निवासी–1,रघुनाथ नगर,
एम0जी0मार्ग,आगरा।

महोदय,

परिषद की सिकंदरा योजना आगरा से0 –12 ए0 भूखंड सं0 सी0सी0–1 हेतु आवेदन दिनांक 17.12.08 के परिपेक्ष्य में आवास आयुक्त महोदय, की अध्यक्षता में 15.0 मी0 से अधिक ऊँचाई के भवनों हेतु समिति की बैठक दिनांक 10.12.09 में लिये गये निर्णयानुसार निम्न शर्तो के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1 निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पॉच वर्ष की होगी। दिनांक 18.2.10 से 17.2.15
3. स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. यदि उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त कर लिया जाये।
5. यह स्वीकृति प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल 5512.40 व0मी0 (बेसमेन्ट + ग्राउन्ड + 4) तलों में सें 1990. 00 वर्ग मी0 (बेसमेन्ट + ग्राउन्ड) तलों हेतु निर्माण क्षेत्रफल के लिए 2538.30 व0मी0 के भूखंड में प्रदान की गयी है। बेसमेन्ट में पार्किंग प्रस्तावित होने के कारण उसका क्षेत्रफल एफ.ए. आर. में आंगणित नही किया गया हैं । अतः पार्किंग हेतु निर्धारित स्थान में निर्माण की सुनिश्चितता हेतु निर्माण की स्वीकृति केवल बेसमेन्ट हेतु प्रदान की जाती है। बेसमेन्ट एवं उसके ऊपर एक तल का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त (सम्बन्धित खण्ड से पुष्टि के पश्चात) शेष निर्माण 3522.40 वर्ग मी0 की अनुवर्ती तलों पर स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी। (स्वीकृति मानचित्र की प्रति संलग्न है।)
6. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड –29 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, सिकंदरा योजना,आगरा को निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व 14 दिन पहले देनी होगी।
7. भवन के निर्माण के पश्चात तथा उपयोग से पूर्व स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी से पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराना होगा।
8. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके।
9. आवंटी द्वारा संलग्न प्रारूप पर पूर्णतया प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा जिसके साथ अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति का प्रमाण पत्र भी सलग्न करना होगा समयावधि तत्पश्चात निर्माण कार्य यथामानक सही पाये जाने पर ही पूर्णतया प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
10 सोलर पैसिव पद्धति को अनिवार्य रुप से करना होगा।
11– कम से कम प्रति 100 व0मी0 क्षेत्रफल पर एक पेड़ की दर से वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से करना होगा।
12– रेनवाटर हार्वेस्टिंग पद्धति को अनिवार्य रूप से करना होगा।

11– कम से कम प्रति 100 व0मी0 क्षेत्रफल पर एक पेड़ की दर से वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से करना होगा।

12– रेनवाटर हार्वेस्टिंग पद्धति को अनिवार्य रूप से करना होगा।

13– भूकम्परोधी शासनादेश सं0 570–9–आ–1–2001(भूकंपरोधी/2001/आ0बा0)दिनांक 3.2.2001 एवं सं0 3751/9–आ–भूकंपरोधी/2001 (आ0बा0) दि0 20.7.02991 के अंतर्गत शर्त सेट के एक मानचित्र के पृष्ठ भागों पर चस्पा की गई है जिनका अनुसरण करना होगा।

14– समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश मान्य होंगे।

15– मानचित्र का परीक्षण नेशनल बिल्डिंग कोड के मात्र ढॉचागत (structural) प्राविधानों के अर्न्तगत करते हुए ही अनुज्ञा निर्गत की जा रही है तथा अग्निशमन/सुरक्षा सम्बंधी अन्य समस्त प्राविधानों को स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित कराया जायेगा।

16– अधिशासी अभियन्ता, नि0खंड–29 सिकंदरा योजना आगरा के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत भूखंड पर निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप स्थल पर किया जा रहा है।

17–अग्निशमन अधिकारी, आगरा के पत्रांक सी0एफ0ओ0 –अ0सु0–23/09 (भवन) दिनांक 10.9.09 को शर्तो का अनुपालन एवं निम्न शर्तो सहित स्थल पर किया जाना अनिवार्य है :–

(1) ऊपरी तलों में वासियों हेतु अग्निसुरक्षा की दृष्टि से एक्सटर्नल स्टेयर केस हमेशा खुला रखा जाए।

(2) ऊपरी तलों के वासियों की सुरक्षा हेतु एक प्रशिक्षित कर्मचारी जो अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन कर सके हमेशा उपलब्ध रखा जाए।

संलग्नक:1. आर्कीटैक्चरल मानचित्रों का एक सेट (4 नग सेट)
2. स्ट्रक्चरल डिजाइन्स का एक सैट (1 नग सेट)
3. स्ट्रक्चरल व कैलकुलेशन का एक सैट ।
4. पूर्णता प्रमाण पत्र का प्रारूप–ग।

16/2/2010

(अजीत दुबे)
वास्तुविद नियोजक

पत्रांकः

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–अधीक्षण अभियन्ता–आगरा वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आगरा को उक्त मानचित्र के एक सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2–अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड 29 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आगरा को मानचित्रों के एक सेट सहित इस आशय से प्रेषित कि पूर्णता प्रमाण पत्र के आवेदन हेतु प्रपत्र–ग की एक प्रति संलग्न है तथा यह सुनिश्चित करने हेतु कि आवंटी को मलवा सामग्री की छूट दी गयी है अतः यह सुनिश्चित कर लें कि आवंटी अपने ही भूखंड में निर्माण सामग्री एवं मलवा रखेगा।

3–सहायक आवास आयुक्त, सम्पत्ति प्रबंध,आगरा को शर्त सं0 04 के संदर्भ में ।

4–मुख्य अग्निशमन अधिकारी, आगरा को प्रपत्र–च प्रेषित।

(अजीत दुबे)
वास्तुविद नियोजक